भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1953
(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को दिया गया)
एल.एल.पी. कम्पनियों के माध्यम से काले धन को सफेद किया जाना

1953. श्री अनुभव मोहंती :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एल.एल.पी.) कंपनियाँ, लाभप्रद ब्याज दर की पेशकश करके, बहकावे में आकर फंस जाने वाले भोले-भाले व्यक्तियों से अपने बेहिसाबी धन का शोधन कर रही हैं;
(ख) क्या सरकार को उन लोगों की ऐसी अवैध गतिविधियों की जानकारी है जो विशेषकर हैदराबाद और बंगलौर में अपने काले धन को सफेद करने के लिए ऐसी एल.एल.पी. कंपनियों के गठन में संलिप्त हैं; और
(ग) क्या सरकार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसे मामलों की जाँच कराएगी और उन लोगों को बचाएगी जो उनके चंगुल में फँस सकते हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): सरकार को कंपनी रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार के अधीन मासिक/तिमाही/छह माही आय स्कीम/योजना के अंतर्गत सहायक सदस्य बनने के लिए विभिन्न व्यापार योजना/बोगस स्कीमें प्रारंभ करते हुए अवैध धन एकत्र करने हेतु एक एलएलपी अर्थात् विनिंग एज़ इंडिया मल्टी प्रोजेक्ट्स एलएलपी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख): हैदराबाद और बंगलुरू के मामले में, सरकार के पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग): इस मामले को निदेशक, जांच ब्यूरो, पंजाब, चंडीगढ़ और पुलिस आयुक्त, पंजाब को भेज दिया गया है और एमएलएम (बहु-स्तरीय मार्केटिंग) और चिट फंड से संबंधित स्कीम होने के कारण इस पर कार्रवाई करने के लिए सभी नियामक निकायों को सूचित कर दिया गया है। पंजाब

राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए भारतीय दंड संहिता, पीएसबी-प्रभाग, एएसआर की धारा 406/420/120ख के अधीन सं. 156 दिनांक 30.09.2016 द्वारा एफआईआर दर्ज किया है।

*****